

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक
एन०एम०एम०, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस०-एडमिन इक्सपेन्स/2016-17/51-सी/5630-2 दिनांक: 23/9/16

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु 128 जिला अस्पतालों एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (लखनऊ हेतु 03 अतिरिक्त कम्प्यूटर हेतु) में अन्य ऑफिस व्यय (Stationery Support for work plan generation) हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2016-17 (ROP Ref. no. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08-08-2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या बी०१५.३.२.२ "अन्य ऑफिस इक्विपमेन्ट" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Rs 163.50 Lakh for other office expenditure @ Rs 1,500/- per month per block for 823 blocks and @ Rs 1,000/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals approved under A.10.1.11.4 This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS portal and improvement in data quality thereof. Procurement should be done based on competitive bidding and by following Government protocols".

समस्त ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु रु० 1,500.00 प्रति ब्लॉक प्रति माह एवं जिला अस्पताल में रु० 1000.00 प्रति जिला अस्पताल की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इसके अन्तर्गत एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस०/आर०सी०एम० पोर्टल पर 100 प्रतिशत फैसिलिटी बैस्ड रिपोर्टिंग हेतु होने वाले अन्य ऑफिस व्ययों के सम्बंध में किया जाना है।

उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B15.3.2.12 (Other Office Expenditure)

No.	Division	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Approved for other office expenditure for 823 Block PMU @ Rs 1,500/month and 128 DHs @ Rs 1000/month
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8 (5+6+7)	(Col 4 X Rs 18000+ Rs Col 8 X 12000)
1	Agra	Agra	15	-	1	1	2	294000.00
2	Agra	Firozabad	9	1	1	1	3	198000.00
3	Agra	Mainpuri	9	-	1	1	2	186000.00
4	Agra	Mathura	10	-	1	1	2	204000.00
5	Aligarh	Aligarh	12	1	1	1	3	252000.00
6	Aligarh	Etah	8	-	1	1	2	168000.00
7	Aligarh	Hathras	7	1	-	1	2	150000.00
8	Aligarh	Kashganj	7	-	1	-	1	138000.00
9	Allahabad	Allahabad	20	-	2	1	3	396000.00
10	Allahabad	Fatehpur	13	-	1	1	2	258000.00
11	Allahabad	Kaushambi	8	1	-	-	1	156000.00
12	Allahabad	Pratapgarh	17	-	1	1	2	330000.00

13	Azamgarh	Azamgarh	22	-	1	1	2	420000.00
14	Azamgarh	Ballia	17	-	1	1	2	330000.00
15	Azamgarh	Mau	9	1	-	-	1	174000.00
16	Bareilly	Bareilly	15	-	1	1	2	294000.00
17	Bareilly	Budaun	15	-	1	1	2	294000.00
18	Bareilly	Pilibhit	7	-	1	1	2	150000.00
19	Bareilly	Shahjahanpur	15	-	1	1	2	294000.00
20	Basti	Basti	14	-	1	1	2	276000.00
21	Basti	Sant K Nagar	9	-	-	-	0	162000.00
22	Basti	Siddharth Nagar	14	1	-	-	1	264000.00
23	Chitrakoot	Banda	8	-	1	1	2	168000.00
24	Chitrakoot	Chitrakoot	5	1	-	-	1	102000.00
25	Chitrakoot	Hamirpur	7	-	1	1	2	150000.00
26	Chitrakoot	Mahoba	4	1	-	1	2	96000.00
27	Devipatan	Bahraich	14	-	1	1	2	276000.00
28	Devipatan	Balrampur	9	-	1	1	2	186000.00
29	Devipatan	Gonda	16	-	1	1	2	312000.00
30	Devipatan	Shrawasti	5	-	-	-	0	90000.00
31	Faizabad	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	1	174000.00
32	Faizabad	Amethi	13	0	0	0	0	234000.00
33	Faizabad	Barabanki	15	-	1	1	2	294000.00
34	Faizabad	Faizabad	11	-	1	1	2	222000.00
35	Faizabad	Sultanpur	13	-	1	1	2	258000.00
36	Gorakhpur	Deoria	16	-	1	1	2	312000.00
37	Gorakhpur	Gorakhpur	19	-	1	1	2	366000.00
38	Gorakhpur	Kushinagar	14	1	-	-	1	264000.00
39	Gorakhpur	Maharajganj	12	1	-	-	1	228000.00
40	Jhansi	Jalaun	9	-	1	1	2	186000.00
41	Jhansi	Jhansi	8	-	1	1	2	168000.00
42	Jhansi	Lalitpur	6	-	1	1	2	132000.00
43	Kanpur	Farrukhabad	7	-	1	1	2	150000.00
44	Kanpur	Auraiya	7	-	-	-	0	126000.00
45	Kanpur	Etawah	8	-	1	1	2	168000.00
46	Kanpur	Kannauj	8	1	-	-	1	156000.00
47	Kanpur	Kanpur Dehat	10	1	-	-	1	192000.00
48	Kanpur	Kanpur Nagar	10	-	2	1	3	216000.00
49	Lucknow	Hardoi	19	-	1	1	2	366000.00
50	Lucknow	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	2	294000.00
51	Lucknow	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	4	246000.00
52	Lucknow	Rae Bareli	18	-	1	1	2	348000.00
53	Lucknow	Sitapur	19	-	1	1	2	366000.00
54	Lucknow	Unnav	16	-	1	1	2	312000.00
55	Meerut	Bagpat	6	-	-	-	0	108000.00
56	Meerut	Bulandshahar	16	1	1	1	3	324000.00
57	Meerut	G B Nagar	4	1	-	-	1	84000.00
58	Meerut	Ghaziabad	4	1	1	1	3	108000.00
59	Meerut	Hapur	4	-	-	-	-	72000.00
60	Meerut	Meerut	12	-	1	1	2	240000.00
61	Mirzapur	Mirzapur	12	-	1	1	2	240000.00
62	Mirzapur	Sonbhadra	8	1	-	-	1	156000.00
63	Mirzapur	SRavidas Nagar	6	-	1	-	1	120000.00
64	Moradabad	Bijnor	11	1	-	1	2	222000.00
65	Moradabad	JP Nagar	6	-	-	-	0	108000.00

66	Moradabad	Moradabad	8	-	1	1	2	168000.00
67	Moradabad	Rampur	6	-	1	1	2	132000.00
68	Moradabad	Sambhal	8	-	-	-	-	144000.00
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	9	-	1	1	2	186000.00
70	Saharanpur	Saharanpur	11	-	1	1	2	222000.00
71	Saharanpur	Shamli	5	-	-	-	-	90000.00
72	Varanasi	Chandauli	9	-	1	-	1	174000.00
73	Varanasi	Ghazipur	16	-	1	1	2	312000.00
74	Varanasi	Jaunpur	21	-	1	1	2	402000.00
75	Varanasi	Varanasi	8	-	3	1	4	192000.00
Total			823	19	56	53	128	16350000.00
रु० 163,50,000.00 (रु० एक करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र)								

उपरोक्त 128 जिला अस्पतालों एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु रु० 163,50,000.00 (रु० एक करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त की जा रही है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.2.12 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

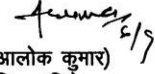
व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्फेरन्स आडिटर, स्टेट्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा कारायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0-एडमिन इक्सपेन्स/2015-16/51-सी/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।


(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0